

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम— मुजफ्फरपुर, बेगूसराय एवं गया।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्— दानापुर, भमुआ, फुलवारीशरीफ, फतुहा, मोतिहारी एवं जहानाबाद।
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, नवगाड़िया।

पटना, दिनांक—०९/०१/१९

विषय:— वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभिन्न नगर निकायों से प्राप्त पथ एवं पुलिया निर्माण तथा से संबंधित कुल ₹2089.10811 लाख (बीस करोड़ नबासी लाख दस हजार आठ सौ ग्यारह रु०) मात्र की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तत्काल कुल ₹936.66655 लाख (नौ करोड़ छत्तीस लाख छियासठ हजार छः सौ पचपन रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।

आदेश:— स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभिन्न नगर निकायों से प्राप्त पथ एवं पुलिया निर्माण से संबंधित स्तम्भ— 03 में अंकित योजनाओं के लिए स्तम्भ— 04 के अनुरूप कुल ₹2089.10811 लाख (बीस करोड़ नबासी लाख दस हजार आठ सौ ग्यारह रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ— 05 के अनुरूप तत्काल विभागीय राज्यादेश सं०— ११ दिनांक—०९/०१/१९ के आलोक में कुल ₹936.66655 लाख (नौ करोड़ छत्तीस लाख छियासठ हजार छः सौ पचपन रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् आवंटित की जाती है:—

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	तकनीकी अनुमोदन/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल आवंटित राशि	अवशेष राशि (४-५)
१	२	३	४	५	६
1		वार्ड सं०— 07 में गुमटी नं०— 02 से गोविंदपुर होते हुए एन०एच०— 28 मिलान तक सङ्क० एवं नाला निर्माण कार्य।	121.69000	60.84500	60.84500
2	नगर निगम, मुजफ्फरपुर	वार्ड सं०— 19 में पंकज मार्केट से अखाड़ाघाट पेट्रोल पंप के सामने गली तक भाया जी०डी० मदर इन्टरनेशनल स्कूल तक पी०सी०सी० पथ सह स्लैब सहित आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	210.61000	52.65250	157.95750
3		वार्ड सं०— 12 में पी०डब्ल्यू०डी० कॉलोनी होते हुए स्व० मणिभूषण जी के घर भाया अनिल जायसवाल जी के घर तक सङ्क० एवं नाला निर्माण कार्य।	189.29000	94.64500	94.64500

4		वार्ड सं०- 17/18 में राजकुमार सिंह के घर से अमरेन्द्र त्रिवेदी के मकान होते हुए भाया दहिला निवास ओम साह, गड्ढू श्रीवास्तव, केंपी० सिंह के गली होते हुए मुकुल श्रीवास्तव के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं स्ट्रैब सहित नाला निर्माण कार्य।	132.10000	66.05000	66.05000
5		वार्ड सं०- 28 में दामुचक प्रोफेसर कॉलोनी में पी०सी०सी० पथ एवं नाला निर्माण कार्य।	134.63000	67.31500	67.31500
6		वार्ड सं०- 30 एवं 34 में पराव पोखर से निमचौक तक भाया गली नं०- 02 में पी०सी०सी० पथ एवं नाली निर्माण कार्य।	220.94000	55.23500	165.70500
7		वार्ड सं०- 30 में प्रजापति ब्रह्मा गली से कलमबाग रोड एम्बीसन कोचिंग तक पी०सी०सी० पथ एवं नाला निर्माण कार्य।	113.41000	56.70500	56.70500
8		वार्ड सं०- 36 अंतर्गत मीठनपुरा चन्द्रपुरी लेन नं०- 02 में श्री रामविलास जी के घर से श्री गुड्ढू जी के घर होते हुए श्री चन्द्रनाथ मिश्रा के घर होते हुए मो० मोहफिल अंसारी के घर तक सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	67.36000	33.68000	33.68000
9	नगर निगम, बेगूसराय	उलाव चौक से रिफाईनरी सड़क तक पी०सी०सी० निर्माण कार्य।	76.89000	38.44500	38.44500
10	नगर निगम, गया	गया-नवादा मुख्य पथ से लखीबाग होते हुए गौरी कन्या मध्य विद्यालय तक पथ एवं नाली निर्माण कार्य।	185.18800	92.59400	92.59400
11		वार्ड सं०- 46 अंतर्गत डॉ० राजेश सिंह के घर से अजय सिंह होते हुए अवधेश सिंह के घर तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य।	16.10000	8.05000	8.05000
योग (क)			1468.20800	626.21650	841.99150
12	नगर परिषद्, दानापुर	वार्ड नं०- 39 में डी०पी०एस० स्कूल के पश्चिम बबन ओझा के घर से सुबोध सिंह के घर होते हुए अर्जुन शर्मा के घर तक पी०सी०सी० सड़क एवं आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	30.21111	15.10555	15.10556
13		वार्ड सं०- 37 के जनकपुरी कॉलोनी रोड नं०- 07 में श्री श्याम बिहारी राम के घर से आर०के० सिंह अधिवक्ता के घर तक हयूम पाईप नाला एवं पी०सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	21.85500	10.92750	10.92750
14	नगर परिषद्, भमुआ	वार्ड नं०- 11 में संतोष माली के घर से बाईपास तक नाला एवं पी०सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	130.14000	65.07000	65.07000
15	नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ	वार्ड सं०- 28 में न्यू रानीपुर शिव मंदिर के सामने से सुनील कुमार तिवारी (एन०एस०जी०) के घर होते हुए सत्येन्द्र शर्मा के घर तक पी०सी०सी० सड़क एवं भूर्गमृ नाला निर्माण कार्य।	14.68000	7.34000	7.34000
16	नगर परिषद्, फतुहा	वार्ड सं०- 25 एवं 26 में एन०एच०- 30 कॉलेज रोड होते हुए नटराज नगर होते हुए रेलवे हन्टर तक भूर्गमृ नाला एवं पी०सी०सी० ढलाई कार्य।	76.27500	38.13750	38.13750
17	नगर परिषद्, मोतिहारी	चॉदमारी एम०एस० कॉलेज रोड वार्ड नं०- 25-26 परिसिमन पथ लला बंगला से नवनिर्मित आर०सी०सी० नाला तक नाला एवं पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य।	125.09300	62.54650	62.54650
18		वार्ड नं०- 31 में श्रीकृष्ण नगर सपही देवी मंदिर मोहल्ला में डॉ० आर०के० सिंह के उत्तराखाले गली नं०- 04 के सड़क का पी०सी०सी० सह नाला निर्माण कार्य।	15.97000	7.98500	7.98500
19	नगर परिषद्, जहानाबाद	वार्ड सं०- 26 में विन्द के मकान से अजय गुप्ता के मकान होते हुए करघा नदी तक नाला एवं पी०सी०सी० निर्माण कार्य।	54.71000	27.35500	27.35500
20		वार्ड नं०- 27 में पटना गया रोड से संतोष सर के स्कूल तक पी०सी०सी० पथ, नाला एवं ढक्कन निर्माण कार्य।	34.26200	17.13100	17.13100

21		वार्ड नं०- 29 में बलराम पडित के मकान से दयानिधि के मकान होते हुए नबार्ड बैंक तक पी०सी०सी० पथ, नाला एवं नाला का ढक्कन निर्माण कार्य।	18.67800	9.33900	9.33900
		योग (ख)	521.87411	260.93705	260.93706
22		वार्ड नं०- 05 में साहेब पडित के घर से बलिदानी दुर्गा स्थान चौक पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य।	24.85200	12.42600	12.42600
23		वार्ड नं०- 11 में प्रकाश यादव के घर से सुरेश शर्मा के घर तक एवं राजेन्द्र सिंह के घर से धुरी साह के घर तक पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य।	24.85300	12.42650	12.42650
24	नगर पंचायत, नवगछिया	वार्ड नं०- 17 में मनू चौधरी के घर से पंकज रजक के घर होते हुए प्रदुमण चौधरी के घर तक पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य।	24.85300	12.42650	12.42650
25		वार्ड नं०- 21 में दुर्गा मंदिर से मनोज कसेरा के घर तक एवं सिकंदर साह के घर से शिव कुमार पंसारी के घर होते हुए आनन्द मेडिकल नियर महाराजजी चौक तक पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य।	24.46800	12.23400	12.23400
		योग (ग)	99.02600	49.51300	49.51300
		योग (क+ख+ग)	2089.10811	936.66655	1152.44156

अर्थात् कुल आवंटित राशि कुल ₹936.66655 लाख (नौ करोड़ छत्तीस लाख छियासठ हजार छ: सौ पचपन रु०) मात्र।

2. उक्त आवंटित कुल ₹936.66655 लाख (नौ करोड़ छत्तीस लाख छियासठ हजार छ: सौ पचपन रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम तथा कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् एवं संबंधित नगर पंचायत होगें जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 एवं पत्रांक- 662, दिनांक- 02.08.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। तालिका के क्रमांक- 10 से 15 पर अंकित योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा तथा शेष योजनाओं का कार्यान्वयन बुड़को द्वारा किया जायेगा। जिसके लिए संबंधित नगर निकायों के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से राशि बुड़को को हस्तांतरित कर दी जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।

3. चूंकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ङ) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

४

5. कुल आवंटित राशि ₹936.66655 लाख (नौ करोड़ छत्तीस लाख छियासठ हजार छ: सौ पचपन रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जाएगी:-

(क) आवंटित कुल राशि ₹936.66655 लाख (नौ करोड़ छत्तीस लाख छियासठ हजार छ: सौ पचपन रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 01 से 11 के समुख स्तम्भ- 05 में अंकित कुल राशि ₹626.21650 लाख (छ: करोड़ छब्बीस लाख इक्कीस हजार छ: सौ पचास रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्यशीर्ष- 01-राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष- 0116-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें, विपत्र कोड- **48-2217011910116**, विषय शीर्ष 0116.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

(ख) आवंटित कुल राशि ₹936.66655 लाख (नौ करोड़ छत्तीस लाख छियासठ हजार छ: सौ पचपन रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 12 से 21 तक के समुख स्तम्भ- 05 में अंकित कुल राशि ₹260.93705 लाख (दो करोड़ साठ लाख तिरानवे हजार सात सौ पाँच रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष- 0105-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें सहायक अनुदान, विपत्र कोड- **48-2217031920105**, विषय शीर्ष- 0105.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

(ग) आवंटित कुल राशि राशि ₹936.66655 लाख (नौ करोड़ छत्तीस लाख छियासठ हजार छ: सौ पचपन रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 22 से 25 के समुख स्तम्भ- 05 में अंकित कुल राशि ₹49.51300 लाख (उनचास लाख एकावन हजार तीन सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष- 0104-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान, विपत्र कोड- **48-2217031930104**, विषय शीर्ष- 0104.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

6. उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि आवंटित की जाती है:-

(i) **तालिका के क्रमांक- 10 से 15 पर अंकित योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा तथा शेष योजनाओं का कार्यान्वयन बुड़को द्वारा किया जायेगा।**

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय-समय पर किया जाएगा।

(iii) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर विभाग का नाम, योजना की प्राककलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(iv) **योजनाओं का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।**

(v) योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गयी है।

7. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०— 7355 वि(2), दिनांक— 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/कार्यपालक अभियंता, बुडको—मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पटना, पूर्वी चम्पारण, जहानाबाद एवं भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के अदेश से,

18/09/2019

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक—२ब०/सड़क०—०९—०४/२०१८ ८६ /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक— ०९/०९/२०१९

प्रतिलिपि:— महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/कार्यपालक अभियंता, बुडको—मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पटना, पूर्वी चम्पारण, जहानाबाद एवं भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा— 02 एवं 07 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (५ प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/09/2019

सरकार के विशेष सचिव।

* ई-मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*** अनौपचारिक**
रूप से प्राप्तिरित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा—आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक—०१/७।।।

विषय:— वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न नगर निकायों से प्राप्त पथ एवं पुलिया निर्माण तथा से संबंधित कुल ₹2089.10811 लाख (बीस करोड़ नबासी लाख दस हजार आठ सौ ग्यारह रु०) मात्र की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तत्काल कुल ₹936.66655 लाख (नौ करोड़ छत्तीस लाख छियासठ हजार छः सौ पचपन रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:— **स्वीकृत।**

वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न नगर निकायों से प्राप्त पथ एवं पुलिया निर्माण से संबंधित स्तम्भ— 03 में अंकित योजनाओं के लिए स्तम्भ— 04 के अनुरूप कुल ₹2089.10811 लाख (बीस करोड़ नबासी लाख दस हजार आठ सौ ग्यारह रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ— 05 के अनुरूप तत्काल कुल ₹936.66655 लाख (नौ करोड़ छत्तीस लाख छियासठ हजार छः सौ पचपन रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृत की जाती है:—

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	तकनीकी अनुमोदन/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर निगम, मुजफ्फरपुर	वार्ड सं०- 07 में गुमटी नं०- 02 से गोविंदपुर होते हुए इन०एच०- 28 मिलान तक सङ्क॒ एवं नाला निर्माण कार्य।	121.69000	60.84500	60.84500
2		वार्ड सं०- 19 में पंकज माकेट से अखाड़ाघाट पेट्रोल पंप के सामने गली तक भाया जी०डी० मदर इन्टरनेशनल स्कूल तक पी०सी०सी० पथ सह स्लैब सहित आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	210.61000	52.65250	157.95750
3		वार्ड सं०- 12 में पी०डब्लू०डी० कॉलोनी होते हुए स्व० मणिभूषण जी के घर भाया अनिल जायसवाल जी के घर तक सङ्क॒ एवं नाला निर्माण कार्य।	189.29000	94.64500	94.64500
4		वार्ड सं०- 17/18 में राजकुमार सिंह के घर से अमरेन्द्र त्रिवेदी के मकान होते हुए भाया दहिला निवास ओम साह, गड्ढू श्रीवास्तव, को०पी० सिंह के गली होते हुए मुकुल श्रीवास्तव के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं स्लैब सहित नाला निर्माण कार्य।	132.10000	66.05000	66.05000

5		वार्ड सं०- 28 में दामुचक प्रोफेसर कॉलोनी में पी०सी०सी० पथ एवं नाला निर्माण कार्य।	134.63000	67.31500	67.31500
6		वार्ड सं०- 30 एवं 34 में पराव पोखर से निमचौक तक भाया गली नं०- 02 में पी०सी०सी० पथ एवं नाली निर्माण कार्य।	220.94000	55.23500	165.70500
7		वार्ड सं०- 30 में प्रजापति ब्रह्मा गली से कलमबाग रोड एम्बीसन कोचिंग तक पी०सी०सी० पथ एवं नाला निर्माण कार्य।	113.41000	56.70500	56.70500
8		वार्ड सं०- 36 अंतर्गत मीठनपुरा चन्द्रपुरी लेन नं०- 02 में श्री रामविलास जी के घर से श्री गुड्डू जी के घर होते हुए श्री चन्द्रनाथ मिश्रा के घर होते हुए मो० मोहफिल अंसारी के घर तक सड़क एवं नाला निर्माण कार्य।	67.36000	33.68000	33.68000
9	नगर निगम, बेगूसराय	उलाव चौक से रिफाईनरी सड़क तक पी०सी०सी० निर्माण कार्य।	76.89000	38.44500	38.44500
10	नगर निगम, गया	गया-नवादा मुख्य पथ से लखीबाग होते हुए गौरी कन्या मध्य विद्यालय तक पथ एवं नाली निर्माण कार्य।	185.18800	92.59400	92.59400
11		वार्ड सं०- 46 अंतर्गत डॉ० राजेश सिंह के घर से अजय सिंह होते हुए अवधेश सिंह के घर तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य।	16.10000	8.05000	8.05000
		योग (क)	1468.20800	626.21650	841.99150
12	नगर परिषद्, दानापुर	वार्ड नं०- 39 में डी०पी०एस० स्कूल के पश्चिम बबन ओझा के घर से सुबोध सिंह के घर होते हुए अर्जून शर्मा के घर तक पी०सी०सी० सड़क एवं आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	30.21111	15.10555	15.10556
13		वार्ड सं०- 37 के जनकपुरी कॉलोनी रोड नं०- 07 में श्री श्याम बिहारी राम के घर से आर०क० सिंह अधिवक्ता के घर तक हयूम पाईप नाला एवं पी०सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	21.85500	10.92750	10.92750
14	नगर परिषद्, भमुआ	वार्ड नं०- 11 में संतोष माली के घर से बाईपास तक नाला एवं पी०सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	130.14000	65.07000	65.07000
15	नगर परिषद्, फूलवारीशरीफ	वार्ड सं०- 28 में न्यू रानीपुर शिव मंदिर के सामने से सुनील कुमार तिवारी (एन०एस०जी०) के घर होते हुए सत्येन्द्र शर्मा के घर तक पी०सी०सी० सड़क एवं भूर्भुला नाला निर्माण कार्य।	14.68000	7.34000	7.34000
16	नगर परिषद्, फतुहा	वार्ड सं०- 25 एवं 26 में एन०एच०- 30 कॉलेज रोड होते हुए नटराज नगर होते हुए रेलवे हन्टर तक भूर्भुला नाला एवं पी०सी०सी० ढलाई कार्य।	76.27500	38.13750	38.13750
17	नगर परिषद्, मोतिहारी	चॉदमारी एम०एस० कॉलेज रोड वार्ड नं०- 25-26 परिसिमन पथ लला बंगला से नवनिर्मित आर०सी०सी० नाला तक नाला एवं पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य।	125.09300	62.54650	62.54650
18		वार्ड नं०- 31 में श्रीकृष्ण नगर सपही देवी मंदिर मोहल्ला में डॉ० आर०क० सिंह के उत्तरवाले गली नं०- 04 के सड़क का पी०सी०सी० सह नाला निर्माण कार्य।	15.97000	7.98500	7.98500
19	नगर परिषद्, जहानाबाद	वार्ड सं०- 26 में विन्द के मकान से अजय गुप्ता के मकान होते हुए करघा नदी तक नाला एवं पी०सी०सी० निर्माण कार्य।	54.71000	27.35500	27.35500
20		वार्ड नं०- 27 में पटना गया रोड से संतोष सर के स्कूल तक पी०सी०सी० पथ, नाला एवं ढक्कन निर्माण कार्य।	34.26200	17.13100	17.13100
21		वार्ड नं०- 29 में बलराम पंडित के मकान से दयानिधि के मकान होते हुए नवार्ड बैंक तक पी०सी०सी० पथ, नाला एवं नाला का ढक्कन निर्माण कार्य।	18.67800	9.33900	9.33900
		योग (ख)	521.87411	260.93705	260.93706

22	नगर पंचायत, नवगच्छिया	वार्ड नं०- 05 में साहेब पंडित के घर से बलिदानी दुर्गा स्थान चौक पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य।	24.85200	12.42600	12.42600
23		वार्ड नं०- 11 में प्रकाश यादव के घर से सुरेश शर्मा के घर तक एवं राजेन्द्र सिंह के घर से धुरी साह के घर तक पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य।	24.85300	12.42650	12.42650
24		वार्ड नं०- 17 में मनू चौधरी के घर से पंकज रजक के घर होते हुए प्रदुमण चौधरी के घर तक पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य।	24.85300	12.42650	12.42650
25		वार्ड नं०- 21 में दुर्गा मंदिर से मनोज कसेरा के घर तक एवं सिकंदर साह के घर से शिव कुमार पंसारी के घर होते हुए आनन्द मेडिकल नियर महराजजी चौक तक पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य।	24.46800	12.23400	12.23400
		योग (ग) 99.02600 49.51300 49.51300 योग (क+ख+ग) 2089.10811 936.66655 1152.44156			

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि कुल ₹936.66655 लाख (नौ करोड़ छत्तीस लाख छियासठ हजार छ: सौ पचपन रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

2. उक्त स्वीकृत कुल ₹936.66655 लाख (नौ करोड़ छत्तीस लाख छियासठ हजार छ: सौ पचपन रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम तथा कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् एवं संबंधित नगर पंचायत होगें जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 एवं पत्रांक- 662, दिनांक- 02.08.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। तालिका के क्रमांक- 10 से 15 पर अंकित योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा तथा शेष योजनाओं का कार्यान्वयन बुड़कों द्वारा किया जायेगा। जिसके लिए संबंधित नगर निकायों के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से राशि बुड़कों को हस्तांतरित कर दी जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।

3. चूंकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ङ) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

5. कुल स्वीकृत राशि ₹936.66655 लाख (नौ करोड़ छत्तीस लाख छियासठ हजार छ: सौ पचपन रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जायेगी:-

(क) स्वीकृत कुल राशि ₹936.66655 लाख (नौ करोड़ छत्तीस लाख छियासठ हजार छ: सौ पचपन रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 01 से 11 के सम्मुख स्तम्भ- 05 में अंकित कुल राशि ₹626.21650 लाख (छ: करोड़ छब्बीस लाख इक्कीस हजार छ: सौ पचास रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्यशीर्ष- 01-राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष- 0116-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें, विपत्र कोड- 48-2217011910116, विषय शीर्ष 0116.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

(ख) स्वीकृत कुल राशि ₹936.66655 लाख (नौ करोड़ छत्तीस लाख छियासठ हजार छ: सौ पचपन रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 12 से 21 तक के सम्मुख स्तम्भ- 05 में अंकित कुल राशि ₹260.93705 लाख (दो करोड़ साठ लाख तिरानवे हजार सात सौ पाँच रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष- 0105-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031920105, विषय शीर्ष- 0105.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

(ग) स्वीकृत कुल राशि ₹936.66655 लाख (नौ करोड़ छत्तीस लाख छियासठ हजार छ: सौ पचपन रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 22 से 25 के सम्मुख स्तम्भ- 05 में अंकित कुल राशि ₹49.51300 लाख (उनचास लाख एकावन हजार तीन सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष- 0104-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031930104, विषय शीर्ष- 0104.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

6. उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:-

(i) तालिका के क्रमांक- 10 से 15 पर अंकित योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा तथा शेष योजनाओं का कार्यान्वयन बुड़कों द्वारा किया जायेगा।

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय-समय पर किया जाएगा।

(iii) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर विभाग का नाम, योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(iv) योजनाओं का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।

(v) योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गयी है।

7. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-२८०/सङ्क०-०९-०४/२०१८ के पृष्ठ सं-५३/टि० पर दिनांक-०८-०१-२०१९ को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं-५३/टि० पर दिनांक-०८-०१-२०१९ को प्राप्त है।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद्, एवं संबंधित नगर पंचायत/कार्यपालक अभियंता, बुडको— मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पटना, पूर्वी चम्पारण, जहानाबाद एवं भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से.

19.1.9

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-२८०/सङ्को-०९-०४/२०१८ | १ | /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-०९।०।।९

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद्, एवं संबंधित नगर पंचायत/कार्यपालक अभियंता, बुडको-मुजफ्फरपुर, बैगूसराय, पटना, पूर्वी चम्पारण, जहानाबाद एवं भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१९.१.१९

सरकार के विशेष सचिव।